राजस्थान सरकार

न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी, रूपनगढ़ (अजमेर)

पीठासीन अधिकारी–सुश्री महिमा कसाना, आई.ए.एस.

1. राजस्व वाद संख्या– 73/2023
2. जी0सी0एम0एस0 संख्या– 2023/202
3. दायर दिनांक–11.12.2023
4. निर्णय दिनांक– 25.10.2024

उनवानी–

1. सुरेन्द्र सिंह पुत्र स्व0 सम्पत सिंह
2. महेन्द्र सिंह पुत्र स्व0 सम्पत सिंह
3. सरोज कंवर पुत्री स्व0 सम्पत सिंह
4. श्रीमती संतोष कंवर पत्नि स्व सम्पत सिंह

सर्वगण जाति दरोगा, सर्वनिवासी ग्राम निटूटी हाल मदनगंज किशनगढ़ जिला अजमेर

....वादीगण

बनाम

1. राज्य सरकार जरिये तहसीलदार रूपनगढ़, जिला अजमेर
2. दिलीप सिंह पुत्र गोविन्द जाति दरोगा, निवासी ग्राम निटूटी
3. रामसिंह पुत्र गोविन्द, जाति दरोगा, निवासी ग्राम निटूटी
4. श्रीमति मंजू पत्नि गोविन्द जाति दरोगा, निवासी ग्राम निटूटी

....प्रतिवादीगण

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी रूपनगढ़ (अजमेर)

राजस्व वाद पत्र अन्तर्गत धारा 88 रा0का0अधि0 1955 व प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 136 भू–राज0 अधिनियम 1956

निर्णय

उपस्थिति– 1. श्री अरविन्द दाधीच वकील वादी/प्रार्थी
2 पैरोकार सरकार तहसीलदार रूपनगढ़

प्रकरण के संक्षिप्त तथ्य इस प्रकार है कि वादीगण 1 लगायत 3 तक के पिता व वादीगण संख्या 4 के पति की संयुक्त कब्जे काश्त एवं खातेदारी की कृषि भूमि वाकै ग्राम निटूटी पटवार हल्का निटूटी भू–अ0नि0 क्षेत्र रूपनगढ़ तहसील रूपनगढ़ में स्थित हैं जिसके वर्तमान राजस्व रिकार्ड जमाबन्दी अनुसार खाता संख्या नया 95 के ख0न0 493 रकबा 6.5609 है0 भूमि है जिसमें वादी संख्या 1 से 3 के पिता व वादी संख्या 4 के पति का हिस्सा 1/3 है। उक्त कृषि भूमि के राजस्व रिकार्ड की वर्तमान जमाबन्दी संवत् 2072 से 2075 की प्रमाणित नकल में वादी संख्या 1 से 3 तक के पिता व वादी संख्या 4 के पति का नाम सहवन से पुसा पुत्र मांगीलाल का इन्द्राज किया हुआ है जबकि वादी संख्या 1 से 3 तक के पिता व वादी संख्या 4 के पति का सही एवं वास्तविक नाम सम्पत सिंह पुत्र मंगेज सिंह है तथा उक्त कृषि भूमि के राजस्व रिकार्ड में वादी संख्या 1 से 3 तक के पिता व वादी संख्या 4 के पति का सहवन से गलत नाम पुसा पुत्र मांगीलाल का अंकन हो गया है जिसको दुरूस्त करवा कर वादी संख्या 1 से 3 तक के पिता व वादी संख्या 4 के पति का सही नाम सम्पत सिंह पुत्र मंगेज सिंह का इन्द्राज करवा कर इन्द्राज दुरूस्ती करवाना चाहते है। वादी संख्या 1 से 3 तक के पिता व वादी संख्या 4 के पति के भारत निर्वाचन आयोग के पहचान–पत्र, आधार कार्ड, मृत्यु प्रमाण पत्र इत्यादि में सम्पत सिंह पुत्र मंगेज सिंह दर्ज है जबकि परिवार के राशन [illegible] मांगीलाल दर्ज है और राशन कार्ड में विधिक वारिसानों के नाम भी अंकित हैं। वादी संख्या 1 से 3 [illegible] व वादी संख्या 4 के पति के नाम में भिन्नता के कारण एक ही व्यक्ति के [illegible] पुसा पुत्र मांगीलाल व सम्पत सिंह पुत्र मंगेज सिंह हो गये है जबकि दोनों नाम [illegible] सबंध में ग्राम पंचायत पनेर के द्वारा लेटर पेड भी जारी किया गया है। कृषि भूमि में वादी [illegible] 1 से 3 तक के पिता व वादी संख्या 4 के पति का गलत नाम होने से फौती विरासत का नामान्तरण नहीं खुलने की परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। वादी संख्या 1 से 4 पुसा उर्फ सम्पत सिंह के विधिक वारिसान है तथा विधिक वारिसान को खातेदार काश्तकार घोषित किया जाना आवश्यक है। वादी संख्या 1 से 3 के पिता

Signature Not Verified
Digitally signed by Mahima Kasana
Date: 2024.11.05 14:44:59 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी
रूपनगढ़ (अजमेर)

व वादी संख्या 4 के पति की मृत्यु दिनांक 17.03.2022 को हो जाने के कारण वादीगण को कृषि भूमि में विधिक हक व अधिकार है एवं वादीगण के पिता व पति की मृत्यु होने के बाद से कब्जा काश्त चला आ रहा है। इस आधार पर वादीगण को पुसा उर्फ मंगेज सिंह की कृषि भूमि मे खातेदार काश्तकार घोषित किया जावें। वादीगण ने पुसा उर्फ सम्पत सिंह का फौती विरासत का नामान्तरकरण खुलवाने के लिए तहसीलदार साहब के समक्ष कैम्पों में दिनांक 10.5.2023 व 11.05.2023 कैम्प मुख्यालय ग्राम पंचायत पनेर में आवेदन प्रस्तुत किया लेकिन इसमें कोई कार्यवाही नहीं की गयी जिसके कारण माननीय न्यायालय में उक्त वाद पत्र प्रस्तुत करना आवश्यक हुआ है। प्रतिवादी संख्या 1 भूमिधारी होने से वाद में पक्षकार संयोजित किया गया है। वकील वादी की ओर से निवेदन है कि वादी संख्या 1 से 3 तक के पिता व वादी संख्या 4 के पति की राजस्व रिकार्ड की जमाबंदी में त्रुटिवश/सहवन से दर्ज नाम पुसा पुत्र मांगीलाल के स्थान पर सही एवं वास्तविक नाम सम्पत सिंह पुत्र मंगेज सिंह का इन्द्राज दुरूस्ती करवाने की कृपा करावें।

प्रकरण दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रतिवादी की तलबी जरिये सम्मन की गयी। प्रतिवादी के सम्मन तामिलशुदा प्राप्त। प्रकरण में पैरोकार सरकार तहसीलदार रूपनगढ़ की ओर से जवाब पेश किया गया। प्राप्त जवाब अनुसार प्रकरण में किसी तरह का कोई राजहित प्रभावित नहीं होना जाहिर किया गया। प्रकरण के अवलोकन पर वादग्रस्त भूमि के सहखातेदारों को पक्षकार बनाए जाने हेतु आदेश प्रदान किये गये। तदनुसार वकील वादी द्वारा संशोधित वाद शीर्षक पेश किया। प्रकरण में प्रतिवादी संख्या 2 से 4 की तलबी की गयी। प्रतिवादी संख्या 2 से 4 के सम्मन तामिलशुदा प्राप्त। प्रतिवादी संख्या 2 से 4 बावजूद सूचना के अनुपस्थित रहने पर उनके खिलाफ एकपक्षीय कार्यवाही अमल में लायी गयी। प्रकरण में वकील वादी की ओर से शपथ पत्र अन्तर्गत आदेश 18 नियम 4 सी0पी0सी0 पेश किये गये जिस पर वादीगण के बयान दर्ज किये गये। वादी द्वारा वाद पत्र के समर्थन में फर्द दस्तावेज यथा परिवार रक्षन कार्ड, बैक पास बुक, सहकारी किसान केडिट कार्ड की पास बुक, मतदाता पहचान पत्र, आधार कार्ड, पेन कार्ड की प्रतिलिपियां व ग्राम पंचायत पनेर द्वारा जारी प्रमाण–पत्र पेश किया है।

प्रकरण में वकील वादी व पैरोकार सरकार की बहस सुनी गयी। वकील वादी ने अपनी बहस में वाद पत्र के तथ्यों का दोहरान करते हुए निवेदन किया कि वादी संख्या 1 से 3 तक के पिता व वादी संख्या 4 के पति का गलत नाम पुसा पुत्र मांगीलाल दर्ज है जबकि सही व वास्तविक नाम सम्पत सिंह पुत्र मंगेज सिंह है। इसलिए सही एवं वास्तविक नाम सम्पत सिंह पुत्र मंगेज सिंह नाम उद्घोषणा की डिकी प्रदान करके एवं उक्त नाम का अंकन राजस्व रिकार्ड में किये जाने हेतु वादी के पक्ष में आदेश फरमाने की कृपा करावें। तहसीलदार रूपनगढ़ ने जवाब के कथनों को बहस के तथ्य समझे जाने हेतु निवेदन किया।

हमने पत्रावली का अध्ययन, अवलोकन व बहस पर मनन किया। वादीगण ने वाद पत्र के समर्थन में फर्द दस्तावेज व साक्ष्य यथा भारत निर्वाचन आयोग का पहचान–पत्र, आधार कार्ड, मृत्यु प्रमाण पत्र व ग्राम पंचायत पनेर द्वारा जारी प्रमाण–पत्र पेश किया है। उक्त दस्तावेजात् के आधार पर वादी का नाम सम्पत सिंह पुत्र मंगेज सिंह सिद्ध होता है। अतः वादी का वाद स्वीकार किया जाकर ग्राम निटूटी के खाता संख्या 95 के ख0न0 493 रकबा 6.5609 है0 भूमि में वादी संख्या 1 से 3 के पिता व वादी संख्या 4 के पति के दर्ज नाम पुसा पुत्र मांगीलाल के स्थान पर पुसा उर्फ सम्पत सिंह पुत्र मांगीलाल उर्फ मंगेज सिंह दर्ज करने के आदेश दिये जाते हैं। [illegible] जारी हो।

Signature Not Verified

निर्णय आज दिनांक 25.10.2024 को [illegible] गया एवं शामिल पत्रावली किया गया।

Digitally signed by Mahima Kasana
Date: 2024.11.05 14:44:59 IST
Reason: SelfAttested

महिमा कसाना
(आई.ए.एस.)
सहायक कलक्टर एवं
उपखण्ड अधिकारी
रूपनगढ (अजमेर)

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी रूपनगढ़ (अजमेर)